संख्या: 4/709/पैंतीस-2-2014-3/39(60)/2013

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ:दिनांक 09 अप्रैल, 2014**

विषय- **अर्थ एवं संख्या प्रभाग की 'राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सर्वे पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन' 'विकास खण्ड सांख्यिकी पत्रिका' तथा 'विकास खण्ड सामाजार्थिक समीक्षा' के प्रकाशन हेतु वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखा अनुदान की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष आय-व्ययक में चालू योजना ''राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सर्वे पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन'' तथा 'विकास खण्ड सांख्यिकी पत्रिका' तथा 'विकास खण्ड सामाजार्थिक समीक्षा' को निम्न शर्त के अधीन प्रकाशित कराये जाने हेतु कुल प्राविधान रू0 42,00,000/- (रूपया बयालिस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 14,00,000/- (रू0 चौदह लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रकाशन के लिए धनराशि स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त अध्ययन पूर्व में किसी विभाग अथवा अन्य संस्था द्वारा नहीं किया गया है तथा न ही ऐसा अध्ययन किसी अन्य स्रोत से कराया जा रहा है। निर्गत धनराशि का उपभोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा।

3- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या- बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.03.2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- ''उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स'' तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन -03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय की मद 18-प्रकाशन'' के नामे डाला जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की

http://finance.up.nic.in

समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय मद का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-2 को प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: (1) / पैंतीस-2-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी (पंचायती एवं सहकारी समितियां) इन्दिरा भवन, लखन3।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. संबंधित पत्रावली ।

आज्ञा सें,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in